58

5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत INDIA Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. भारत INDIA Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. भारत INDIA Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.
निगरानी-5617/2018/अशोकनगर/भू...

5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत INDIA Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES

स्वी. प्रा. सुन. हु.
4/9/18

श्री ... द्वारा आज दि. 25-9-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 25-9 नियत
क्लर्क ऑफ कोर्ट ... 4-9-18

1. मुन्नीलाल पुत्र झगड़
2. देवीसिंह पुत्र नत्था
3. रेखा पुत्री नत्था
4. रामकली पुत्री नत्था
5. सीता पुत्री नत्था
6. घुल्ला पुत्री नत्था
7. सुकिया पुत्री नत्था
8. कुशुम वेवा नत्था
9. फुलिया बाई पुत्री झगड़

समस्त जाति ढीमर निवासीजन सकर्रा तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म.प्र.

—निगरानीकर्ताजन

वनाम

रामसिंह पुत्र समरतिया जाति हरीजन सकर्रा तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म.प्र.

—प्रतिनिगरानीकर्ता

विषयः— निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 न्यायालय तहसीलदार वृत - 1 कदवाया तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म.प. के प्रकरण क्र

देवीसिंह केवट

नि. रेखा

नि. रामकलि

नि. मुन्नीलाल

सीता

-2-

42/अ–12/2017–18 दिनांक 06/07/2018 राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन के विरूद्ध।

माननीय महोदय,

सेवा में सविनय निवेदन निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है:–

1. यह कि निगरानीकर्ताजन ग्राम सकर्रा के निवासीजन है। व गरीब कृषक है।
2. यह कि निगरानीकर्ताजन की भूमि ग्राम सकर्रा में सर्वे क्र. 6 रकवा 0.073 हे. सर्वे क्र. 7 रकवा 0.042 हे. सर्वे क्र. 8/1 रकवा 0.652 हे. सर्वे क्र. 240/2 रकवा 0.392 हे. सर्वे क्र. 460/1 रकवा 0.021 हे. सर्वे क्र. 521/1 रकवा 0.136 हे. सर्वे क्र. 549/1 रकवा 0.017 हे. सर्वे क्र. 553/1 रकवा 0.020 हे. सर्वे क्र. 622/1 रकवा 0.111 हे. सर्वे क्र. 623/1 रकवा 0.101 हे. सर्वे क्र. 634/1 रकवा 0.0[illegible] हे. सर्वे क्र. 657/2 रकवा 0.282 हे. सर्वे क्र. 658 रकवा 0.036 हे. सर्वे क्र. 824/1 रकवा 0.383 हे. सर्वे क्र. 868 रकवा 0.021 हे. सर्वे क्र. 869/1 रकवा 0.034 हे. कुल किता 16 कुल रकवा 2.452 हे. भूमि स्थित है।
3. यह कि उक्त भूमि निगरानीकर्ताजन के बाप–दादाओं के समय से चली आ रही है। पूर्व में निगरानीकर्ताजन के बाबा उक्त भूमि पर काबिज थें। व फसल बोकर लाभ लेते चले आ रहे है।
4. यह कि मौके पर पूर्व से ही मेढे वनी हुई है। व एक ओर पत्थर का कोट बना हुआ हैं।
5. यह कि प्रतिनिगरानीकर्ता रामसिंह ने न्यायालय श्रीमान के यहां सीमांकन हेतु आवेदन सर्वे क्र. 859/1 का दिया गया है।
6. यह कि सर्वे क्र. 859 के खसरे में वटे कायम है। किन्तु नक्शे में लाल स्याही से लाईन अंकित नही है। न ही नक्से में वटे कायम हैं।

नि. रैरवा

प्रीता

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :— निगरानी—5617 / 2018 / अशोकनगर / भू.रा.

मुन्नीलाल आदि विरूद्ध रामसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17—06—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी तहसीलदार वृत—1 कदवाया तहसील ईसागढ़, जिला—अशोकनगर के प्र. क्र. 42 / अ—12 / 2017—18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 06—07—2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़, जिला—अशोकनगर को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08—08—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 17/6/19 सदस्य 3	